## अध्याय 4

## सरंक्षित वनों के सम्बन्ध में

धारा 29. सरंक्षित वन - (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि इस अध्याय के उपबन्ध, किसी वन भूमि या पड़त भूमि (Waste Land) में जो आरक्षित वन नहीं है, परन्तु वह शासन की सम्पत्ति है या उस पर शासन का सम्पत्तिक अधिकार है, या कुछ या समस्त वन उपज जिसका शासन हकदार है, लागू होंगे। (2) इस अधिसूचना में सम्मिलित समस्त वन भूमि या पड़त भूमि को 'संरक्षित वन' कहा जावेगा। (3) ऐसी अधिसूचना तब तक जारी नहीं की जावेगी जब तक उस भूमि पर सरकार या प्रायवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जाँच नहीं कर ली जाती और सर्वेक्षण या बन्दोबस्त अभिलेख में या अन्य किसी ऐसी रीति से, जैसी राज्य सरकार पर्याप्त समझती है, उन्हें अभिलिखित नहीं कर लिया जाता, तथा ऐसे हर अभिलेख के बारे में यह उपधारणा (Presumed) की जावेगी कि वे सही (Correct) है जब तक कि प्रतिकूल (Contrary) साबित न कर दिया जावे:

परन्तु यदि किसी वन भूमि या पड़त भूमि की बाबत राज्य सरकार, यह समझती है कि ऐसी जाँच एवं अभिलेख आवश्यक है, किन्तु उनमें इतना समय लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकार खतरे में पड़ जावेंगे, तो राज्य सरकार ऐसी जाँच लम्बित रहने तक ऐसी भूमि को संरक्षित वन घोषित कर सकेगी, किन्तु इससे किसी व्यक्ति या समुदाय के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।

धारा 30. वृक्ष आदि को आरक्षित करने की अधिसूचना निकालने की शक्ति - राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा -

(क) संरक्षित वन के किन्हीं वृक्षों या वृक्षों के वर्ग (class of trees) को अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से आरक्षित घोषित कर सकेगी।

(ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर उस वन के किसी भाग को अधिकतम तीस वर्ष तक, जैसा राज्य सरकार उचित समझे, बन्द कर सकेगी, तथा इस कालावधि में ऐसे प्रभाग पर प्रायवेट व्यक्तियों के अधिकार, ऐसी अवधि के दौरान निलम्बित रहेंगे, परन्तु यह तभी होगा जब ऐसे वन का शेष भाग पर्याप्त हो तथा वह उस क्षेत्र के व्यक्तियों, जिनके अधिकार निलम्बित हुए हैं, के प्रयोग के लिये पर्याप्त तथा युक्तियुक्त स्थान में हो, या

(ग) ऐसे वन की किसी भूमि में पत्थर निकालना (Quarrying of stones), चूने का भट्ठा लगाना (Burn Lime) या कोयला बनाना (Burn Charcoal), वन उपज का संग्रहण कर विनिर्माण की प्रक्रिया करने, या वन उपज का परिवहन करने (Removal) और वन में काश्त करने, भवन बनाने या पशुओं को रोधने (Herding of Cattles) या अन्य कारण से वनों की सफाई करना और भूमि तोड़ना पूर्वोक्त नियत तारीख से प्रातिषिद्ध कर सकेगी।

धारा 31. अधिसूचना के अनुवाद का आस-पास के क्षेत्रों में प्रकाशन - कलेक्टर, धारा 30 के अन्तर्गत निकाली गई अधिसूचना का स्थानीय भाषा में अनुवाद कराकर संदर्भित वन के आस-पास के प्रत्येक ग्राम व नगर में सहज दृश्य स्थान लगवायेगा।

धारा 32. संरक्षित वनों के बारे में नियम बनाने की शक्ति - राज्य सरकार निम्नलिखित बातों के विनियमन के लिये नियम बना सकेगी, अर्थात्

(क) वृक्षों और इमारती लकड़ी की कटाई (Cutting) चिराई (Sawing), संपरिवर्तित (Conversion), करना और हटाना (Removal) तथा संरक्षित वन की वनोपज का संग्रहण (Collection), विनिर्माण (Manufacture) या परिवहन (Removal)।

(ख) संरक्षित वन के समीप के नगरों एवं ग्राम के निवासियों को अपने उपयोग के लिये वृक्ष, इमारती लकड़ी या वन उपज लेने हेतु अनुज्ञप्ति लेना (License) और ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसी अनुज्ञप्तियों का पेश और वापस किया जाना।

(ग) व्यापार के प्रयोजनों के लिये वनों से वृक्षों, या इमारती लकड़ी को काटने (Feeling) या हटाने (Removing) एवं अन्य वन उपज का परिवहन करने वाले व्यक्तियों को अनुज्ञप्तियाँ (License) प्रदान करना और ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसी अनुज्ञप्तियाँ पेश और वापस किया जाना।

(घ) खण्ड (ख) एवं (ग) में वर्णित व्यक्तियों द्वारा जैसे वृक्षों को काटने अथवा इमारती लकड़ी या वन उपज संग्रहित करने एवं हटाने की अनुज्ञा के लिये, किये जाने वाले भुगतान (Payments) यदि कोई हों।

(ङ) ऐसे वृक्षों इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज के बारे में किये जाने वाले अन्य भुगतान (Payment) और वे स्थान जहाँ ऐसा संदाय किया जावेगा।

(च) ऐसे वनोंपज को जो संरक्षित वन से बाहर जावे, जांच कराने के सम्बन्ध में।

(छ) ऐसे वनों में खेती या अन्य प्रयोजन के लिये भूमि की कटाई, सफाई और भूमि तोड़ना।

(ज) ऐसे वनों में पड़ी इमारती लकड़ी एवं धारा (30) के अन्तर्गत आरक्षित वृक्षों की अग्नि से सुरक्षा।

(झ) ऐसे वनों से घास कटाना एवं पशु चराना।

(ञ) ऐसे वनों में शिकार खेलना, गोली चलाना, मछली पकड़ना, जल विषैला करना, पाश या जाल बिछाना और ऐसे वनों के उन क्षेत्रों में जहाँ हाथी परिरक्षण अधिनियम, 1879 (1797 का 6) प्रवृत्त नहीं है, हाथियों को पकड़ना।

(ट) धारा (30) के अधीन वन के किसी बन्द प्रभाग का संरक्षण और प्रबंध और

(ठ) धारा (29) में निर्देशित अधिकारों का प्रयोग।

टिप्पणी (1) - (1) मध्य प्रदेश शासन मोहलाइन पत्तों को ठेके पर दे सकता है तथा शासन को ऐसे पत्तों को घोष विक्रय के लिये विवश नहीं किया जा सकता (देखें 1965, एम.पी.एल.जे. टिप्पणी 129)।

टिप्पणी (2) - अधिकार शुल्क केवल उन पर लगाई जा सकती हे जो संरक्षित वन से उपज लें। (सूरजदीन वि. शासन 1960 रा. नि. 39)।

धारा 33. धारा 30 की अधिसूचना या धारा 32 के अधीन बने नियमों के उल्लंघनों के लिये शक्तियाँ - (1) जो कोई व्यक्ति निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा अर्थात् -

(क) धारा 30 के द्वारा आरक्षित [1]किसी वृक्ष, वन या वनोपज को गिरायेगा (Fells), वृक्ष को सूखने के उद्देश्य से उसके चारों ओर घाव करेगा (Girdles), पत्ते या डाल छांटेगा (Lopping), गोंद आदि निकालने के लिये छेवेगा (Taps) या उसकी छाल या पत्ती निकालेगा (Strips off the Break or leaves) या अन्य प्रकार से वृक्ष को हानि पहुँचावेगा।

(ख) धारा 30 के अधीन वाले किसी प्रतिषेध (Prohibition) के प्रतिकूल (Contrary) पत्थर की खुदाई (Quarry) करेगा, या चूने का भट्टा लगावेगा (Burns Lime) या कोयला बनावेगा (Burns Charcoal) या किसी वन उपज का संग्रहण करेगा, और उससे कोई विनिर्माण प्रक्रिया चलायेगा या किसी वनोपज को हटावेगा।

[2](ग) किसी संरक्षित वन में धारा 30 के अधीन किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल, किसी भूमि को खेती या अन्य प्रयोजन के लिये तोड़ेगा या साफ करेगा काश्त करेगा या काश्त करने का प्रयत्न करेगा या अन्य विधि से काश्त करेगा (Cultivate in any other manner),

(घ) ऐसे वन में आग लगावेगा या बिना युक्तियुक्त पूर्ण सावधानी बरते आग जलावेगा जिससे धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष को, चाहे वह खड़ा हो, गिर गया हो, या गिराया गया हो, क्षति पहुँचे या धारा 30 (ख) के अधीन ऐसे बन्द किये क्षेत्र में फैल जावे।

---

1. म. प्र. अधिनियम क्र. 9 वर्ष 1965 द्वारा संशोधित।
2. म. प्र. अधिनियम क्र. 7 वर्ष 2010 द्वारा संशोधित।

(ङ) ऐसे किसी वृक्ष या बन्द प्रभाग के समीप में उसके द्वारा जलाई आग को जलती छोड़ देगा।

(च) किसी वृक्ष को इस प्रकार गिरावेगा या इमारती लकड़ी को इस प्रकार [1]हटावेगा कि जिससे धारा 30 के अन्तर्गत आरक्षित वृक्ष को हानि पहुँचे।

(छ) इस प्रकार के वृक्ष को पशुओं के द्वारा हानि पहुँचावेगा।

(ज) धारा 32 के अन्तर्गत बनाये नियमों का अतिलंघन (Infringe) करेगा।

(1) वह उस अवधि के कारावास से जो [1]एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो [1]पन्द्रह हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) जब किसी संक्षित वन में जान-बूझकर या घोर उपेक्षा द्वारा आग लगाई जाती है, तब राज्य सरकार इस बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन कोई शास्ति लगाई गई है, निर्देश दे सकेगी, कि ऐसे वन में या उसके किसी प्रभाग में चराई या वनोपज के किसी अधिकार का प्रयोग उतनी अवधि के लिये जितना राज्य सरकार ठीक समझती है, निलम्बित करेगा।

टिप्पणी - (1) यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से संरक्षित वन में प्रवेश करे तो उस व्यक्ति के विरूद्ध धारा 33, अथवा भा.द.वि. की धारा 447 के अधीन मामला चलेगा।

(2) क्रिमिनल लॉ जर्नल (Criminal Law Journal), 1983 पृष्ठ 64 पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णीय किया है कि धारा 33 के वन अपराध में नरम रूख नहीं अपनाना चाहिए, इस धारा के अधीन कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए।

इस निर्णय में भारतीय उच्च न्यायालय ने वन से सम्बन्धित अपराध पर वन अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही निष्ठा से करने का बल दिया है।

(3) धारा 33 (1) (क) के अन्तर्गत अपराध जमानत योग्य (Congnizable Offence) है। और अपराधी को जमानत पर छोड़ा जा सकता है।

धारा 34. इस अध्याय की कोई बात कतिपय मामलों में किये गये कार्यों का प्रतिषेध नहीं करेगी - इस अध्याय की कोई बात की बाबत यह नहीं समझा जावेगा कि ऐसे किसी कार्य का प्रतिषेध करती है जो वन अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से या धारा 32 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किया गया है, जो धारा 29 के अधीन अभिलिखित किसी अधिकार के प्रयोग में, या धारा 30 के अधीन बन्द किये गये किसी वन के प्रभाग के विषय में, या किन्हीं उन अधिकारों के विषय में जिनका प्रयोग धारा 33 के अधीन निलम्बित किया गया है, किये जाने के अलावा किया गया है।

[1]34 अ. संरक्षित वन नहीं होने की घोषणा की शक्ति - राज्य शासन अधिसूचना द्वारा निर्धारित तिथि से ऐसे संरक्षित वन या उसके भाग को "संरक्षित वन" न होने की अधिसूचना निर्गमित कर सकता है।

इस प्रकार नियत तिथि से संरक्षित वन या उसे भाग 'संरक्षित वन' नहीं रहेंगे किन्तु वे अधिकार, (यदि कोई हो) जो समाप्त हो गये हैं, संरक्षित वन की समाप्ति पर पुनः जीवित नहीं होंगे।

---

1. म. प्र. अधिनियम क्र. 9 वर्ष 1965 से धारा 34 (अ) जोड़ी गई।